अंचल अधिकारी का न्यायालय, गोमिया (बोकारो)।

विविध वाद संख्या– 33 / 2024–25

हीरालाल महतो एवं अन्य

–बनाम्–

तुलसी महतो एवं अन्य

–:: आदेश ::–

14.07.2025

अभिलेख उपस्थापित। आवेदक हीरालाल महतो एवं अन्य 49 ग्रामिण, ग्राम– खखण्डा, पो0– तिरला, थाना– जगेश्वर बिहार, जिला– बोकारो के द्वारा एक आवेदन पत्र देकर सूचित किया गया है कि मौजा– खखण्डा के खाता सं0– 33, प्लॉट सं0– 01 गैरमजरूआ खास भूमि पर (1) तुलसी महतो, पिता– स्व0 माघा महतो, (2) लालजी महतो, पिता– स्व0 दुखन महतो, (3) धनेश्वर महतो, पिता– स्व0 हिरामन महतो, (4) किशुन महतो, किटी महतो, रामफल महतो, राजबंधु महतो, चारो के पिता– स्व0 मेघन महतो, (5) केशु महतो, पिता– स्व0 लालमन महतो, (6) सोमर महतो, पिता– स्व0 रैता महतो, सभी सा0– तिलैया, थाना ललपनिया, जिला बोकारो द्वारा गैरमजरूआ खास भूमि पर अवैध कब्जा किया जा रहा है। उनके द्वारा प्रश्नगत जमीन पर अवैध कब्जा करने वाले दोषियों के विरूद्ध कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है।

उक्त के क्रम में वाद की कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए विपक्षी को अपना पक्ष रखने के लिए सूचित किया गया।

विपक्षी की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता के द्वारा उपस्थिति दर्ज करते हुए लिखित जबाब दाखिल किया गया है। जिसमें उनके द्वारा कहा गया कि यह वाद पोषणीय नहीं है और खारिज करने लायक है। यह मामला मौजा खखण्डा के खाता सं0–33, प्लॉट सं0– 01, रकवा– 2.20 ए0 से संबंधित है। जहाँ स्थानीय गॉव की राजनीति और पक्षकारो के बीच आपसी प्रतिद्वंद्विता मौजूद है। प्रथम पक्ष राजस्व ग्राम खखण्डा के है और अधिकांश लोग करीबी रिस्तेदार है जो तिलैया में रहते है। प्रथम पक्ष, दूसरे पक्ष के विरूद्ध सामूहिक रूप से गाँव की राजनीति करना, दूसरे पक्ष

के भूदान भूमि को हड़पने के नियत से, जिसकी विशिष्ट सीमा बिहार भूदान यज्ञ कमिटी द्वारा दूसरे पक्ष के पूर्वज नांदो महतो पिता सुखलाल महतो, सा0– खखण्डा को दिनांक–23.10.1957 को जारी दस्तावेज में उल्लेखित है, तथा जिसका किराया (मूल पर्चा सं0– 167291) BLR Act 1950 की धारा 5, 6, 7 के तहत वर्ष 11/03/1983 में निर्धारित करते हुए लगान रसीद वर्ष 1987–88 से 1988–89 तक निर्गत किया गया है। बिहार भूदान यज्ञ अधिनियम 1954 की धारा–14 के प्रावधान के तहत उक्त भूदान नांदो महतो के पक्ष में दिनांक– 23.10.1957 को जारी किया गया है। जिसमें खाता सं0– 33, प्लॉट सं0– 01 रकवा– 2.20 ए0 भूमि सहित कुल रकवा– 5.30 ए0 भूमि कृषि एवं बागवानी के प्रयोजन के लिए द्वितीय पक्ष के पूर्वज नान्दो महतो एवं उनके उत्तराधिकारी को सशर्त अनुदान दिया गया है। विशेष कर द्वितीय पक्ष के सदस्य के द्वारा हमेशा उक्त निर्धारित नियम एवं शर्तों का पालन करते रहे है और उक्त भूमि पर भौतिक कब्जा रखते हुए खेती बारी करते आ रहे है। भूमि का एक बार अनुदान हो जाने पर भूमि का सभी अधिकार, स्वामित्व व हित अनुदानकर्ता नांदो महतो में निहित हो गया है और समिति का भूमि पर अधिकार, हित समाप्त हो जाता है। अनुदानकर्ता नान्दो महतो के साथ बंदोबस्त भूमि पर अतिक्रमण होने की स्थिति में समिति शक्तिहीन नहीं है। भूमि के बंदोबस्तीधारी के पक्ष में अतिक्रमण हटाने के लिए अधिनियम में पर्याप्त प्रावधान है। बिहार भूदान यज्ञ अधिनियम– 1954 की धारा– 22 के अन्तर्गत राजस्व अधिकारी को बंदोबस्तीधारी के भूमि से अतिक्रमण हटाने के लिए suo-moto से कार्रवाई करने का अधिकार देती है। प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा बिहार भूदान यज्ञ अधिनियम– 1954 के अन्य धाराओं का उल्लेख करते हुए कहा गया कि उनके समक्ष दायर आवेदन उनके क्षेत्राधिकार से बाहर है। ठीक इसके विपरीत प्रथम पक्ष के पास इस वाद को दायर करने का कोई ठोस आधार भी नहीं है। विवादित भूमि पर अतिक्रमण के बारे में प्रथम पक्ष का आरोप झूठा और फर्जी है, जो केवल अनुमान पर आधारित है जो इस मामले को उलझा रहे है। अन्त में विद्वान अधिवक्ता के द्वारा उनके लिखित जबाब को स्वीकृत करने एवं वाद की कार्रवाई को खारिज करने को अनुरोध किया गया है।

सुनवाई के दौरान प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा कहा गया था कि प्रश्नगत भूमि प्रतिवादी को भूदान से प्राप्त है। साक्ष्य के रूप में भूदान यज्ञ कमिटी, गिरिडीह से निर्गत प्रमाण पत्र सं0–167291 (मूल) की छायाप्रति दाखिल किया गया है, जिसके सत्यापन हेतु इस न्यायालय के पत्रांक–380, दिनांक– 15.02.2025 एवं स्मार पत्र सं0– 976, दिनांक– 15.05.2025 से प्रभारी पदाधिकारी, जिला भू–दान यज्ञ कार्यालय, गिरिडीह को भेजा गया था। फलस्वरूप कार्यालय मंत्री, जिला भूदान कार्यालय, गिरिडीह के कार्यालय पत्रांक–64 दिनांक– 02.06.2025 से प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा खखण्डा, थाना सं0– 38, अंचल गोमिया जिला बोकारो के अन्तर्गत श्री नान्दो महतो पिता सुखलाल महतो को प्रमाण पत्र सं0– 167291, दिनांक– 23.10.1957 के द्वारा कुल रकवा 5.30 ए0 भूमि भूदान कार्यालय द्वारा प्रदान की गई है।

दोनो पक्षों की दलील एवं अभिलेख में संधारित अन्य राजस्व कागजातों के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहूँचता हूँ कि प्रश्नगत मौजा खखण्डा, थाना सं0– 38, अंचल गोमिया, कुल रकवा 5.30 ए0 भूमि भूदान कार्यालय द्वारा श्री नान्दो महतो पिता सुखलाल महतो को प्रदान की गई है। परन्तु प्रश्नगत भूमि गैरमजरूआ खास खाते की भूमि है, इसलिए इस विविध वाद में कोई प्रभावी आदेश पारित नहीं किया जा सकता है। पक्षकारों को यह आदेश दिया जाता है कि उक्त गैरमजरूआ भूमि पर किसी भी प्रकार का कार्य (यथा खेती–बारी, निर्माण कार्य) नहीं करेगें। प्रश्नगत भूमि पूर्णतः सरकार की सम्पत्ति है। पक्षकार यदि चाहें तो पारित आदेश के विरूद्ध समक्ष न्यायालय में अपीलवाद दायर करने के लिए स्वतंत्र है। इस आदेश से संबंधित थाना प्रभारी, राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक को अवगत करायें।

उक्त विवेचन के साथ ही वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

Digitally signed by Md Aftab Alam
Date: 2025.08.14 11:00:57 +05:30
Location: 192.168.199.139

अंचल अधिकारी
गोमिया।

14.7.25
अंचल अधिकारी
गोमिया।

स्थान:– गोमिया।
दिनांक :– 14/07/2025